

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-58/2017/3138 /चि0-3-17-टी-1(311)/2015टी0सी0,
लखनऊ : दिनांक 13 नवम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-198/2016/3477/चि0-3-16-टी-1(311)/2015, दिनांक 21-09-2016 द्वारा डा0 अश्वनी कुमार शर्मा, चिकित्साधिकारी (वरि0क्र0-11322, ले0-3) अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर का जनहित में अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, एटा किये गये स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश को 01 वर्ष के लिये कार्यालय-ज्ञाप संख्या-216/2016/3868/चि0-3-16-टी-1(311)/2015, दिनांक 24-11-2016 द्वारा स्थगित किया गया था। 01 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरान्त इन्हें एटा हेतु कार्यमुक्त किये जाने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

2- डा0 अश्वनी कुमार शर्मा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी योगदान आख्या तत्काल मुख्य चिकित्साधिकारी, एटा को प्रस्तुत करें तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।


शेष कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21-09-2016 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

नर्वेद सिंह
विशेष सचिव

संख्या-58/2017/3138 (1)/चि-3-17.तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0 लखनऊ।
- 2- अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर/अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।
- 4- मुख्य चिकित्साधिकारी, एटा/मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि वह डा0 शर्मा को मुख्य चिकित्साधिकारी, एटा के अधीन कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करें।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मुजफ्फरनगर/एटा।
- 6- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर।
- 7- निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, 30प्र0।
- 8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0 शासन।
- 9- प्राभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
- 10- चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एन0 यादव)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-59/2017/3314 /चि0-3-17-64रिट/2017
लखनऊ : दिनांक : 13 नवम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप


- मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-16730/2017, डा0 राजीव दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 31-07-2017 एवं डा0 राजीव दीक्षित द्वारा दिये गये अपने दिनांक रहित प्रत्यावेदन के अनुपालन में मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी के आदेश संख्या-सी0एम0ओ0/चि0अ0/स्था0/2017/15092-99, दिनांक 19-07-2017 (क्रमांक-01) द्वारा डा0 राजीव दीक्षित, चिकित्साधिकारी (कार्यवाहक अधीक्षक, वरि0क्र0-12050क-1, लेवल-2), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सतरिख, बाराबंकी का जनहित में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरख, बाराबंकी किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त निरस्त किया जाता है।
- 2- तदनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी का आदेश दिनांक 19-07-2017 उक्त सीमा तक संशोधित पढा जाय।
- 3- उक्त आदेश दिनांक 19-07-2017 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

नरेंद्र सिंह
विशेष सचिव

संख्या-59/2017/3314 (1)/चि0-3-17, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
2. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
3. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बाराबंकी।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।